

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1092] No. 1092] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017/बैशाख 1, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017/VAISAKHA 1, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का.आ. 1235(अ).— जबिक केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2948(अ), दिनांकित 15 सितंबर, 2016 के द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 64 [नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 07] मौजूदा किमी 50.000 [डिजाइन किमी 50.000] से मौजूदा किमी 209.500 [डिजाइन किमी 216.350] तक पटियाला - संगरूर – बरनाला – भटिंडा खंड को मुख्य अभियंता [राष्ट्रीय राजमार्ग], लोक निर्माण विभाग, पंजाब सरकार के माध्यम से पंजाब सरकार (जो इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

और जबिक, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस संग्रहण हेतु सा.का.िन. 838(अ), दिनांकित 05 दिसंबर, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 तैयार की है तथा सा.का.िन. 950(अ), दिनांकित 03 दिसंबर, 2010, सा.का.िन. 15(अ), दिनांकित 12 जनवरी, 2011, सा.का.िन. 756(अ), दिनांकित 12 अक्टूबर, 2011 और सा.का.िन. 778(अ), दिनांकित 16 दिसंबर, 2013, सा.का.िन. 26(अ), दिनांकित 16 जनवरी, 2014, सा.का.िन. 831(अ), दिनांकित 21 नवंबर, 2014, सा.का.िन. 02(अ), दिनांकित 29 दिसंबर, 2014 और सा.का.िन. 220(अ), दिनांकित 23 मार्च, 2015, सा.का.िन. 585(अ), दिनांकित 8 जून, 2016, सा.का.िन. 1114(अ), दिनांकित 2 दिसंबर 2016 और सा.का.िन. 248(अ), दिनांकित 14 मार्च, 2017 के तहत संशोधित की है।

2654 GI/2017 (1)

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 64 [नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 07] के मौजूदा किमी 50.000 [डिजाइन चैनेज 50.000] से मौजूदा किमी 209.500 [डिजाइन चैनेज 216.350] के पटियाला - संगरूर – बरनाला – भिटंडा खंड के उपयोग के लिए, पेव्ड शोल्डर सिहत चार लेन के उपयोग हेतु 128.057 किमी [0.773 किमी की समतुल्य लंबाई सिहत 7.730 किमी की संरचना (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) को छोड़कर] निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से तथा निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 36.899 किमी [0.620 किमी की समतुल्य लंबाई सिहत 6.200 किमी की संरचना (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) को छोड़कर] डिजाइन लंबाई वाले बाइपासों के लिए आधार दर की 150% दर से फीस (इसके आगे 'आधार दर' के रूप में उल्लिखित है) उदगृहीत करती है तथा प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी टेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए
	फीस की प्रति किमी आधार दर
	(रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु	3.45
धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भगतान-योग्य होगी:—

9		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके	दर, जिस पर फीस संदेय
	लिए फीस संदेय है ।	है ।
संगरूर जिले में कालाझार गांव के निकट	41.380 किमी [नीचे	ऊपर तालिका-1 में
रारा-64 [नया रारा-07] के मौजूदा किमी 81.300	पैरा 3 में दर्शाई गई	उल्लिखित आधार दरों
[डिजाइन चैनेज किमी 85.950] पर	0.060 किमी लंबी	का 100%
	अवसंरचनाओं को	
	छोड़कर]	
संगरूर जिले में बडबार गांव के निकट	40.167 किमी [नीचे	ऊपर तालिका-1 में
रारा-64 [नया रारा-07] के मौजूदा किमी 132.700	पैरा 3 में दर्शाई गई	उल्लिखित आधार दरों

94(1)	चनाओं को	का 100%	
छोड़कर	t]		
रारा-64 [नया रारा-07] के मौजूदा किमी 191.929 पैरा 3	_	ऊपर तालिका-1 उल्लिखित आधार द का 100%	में रों

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्निलिखित टोल प्लाजा पर 10 करोड़ अथवा अधिक लागत वाले दो बाइपासों के प्रयोग हेतु फीस भी देय और भुगतान-योग्य होगी:—

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	लिए अतिरिक्त र्फ जाएगा लंबाई (किमी में)	,	योग्य फीस दर
संगरूर जिले में कालाझार गांव के निकट रारा-64 [नया रारा-07] के मौजूदा किमी 81.300 [डिजाइन चैनेज किमी 85.950] पर	रारा-64 [नया रारा-07] का मौजूदा किमी 50.000 [डिजाइन चैनेज किमी 50.000] और मौजूदा किमी 64.570 [डिजाइन चैनेज किमी 69.870] पर मिलने वाला पटियाला बाइपास	किमी 18.920 [नीचे पैरा 3 में उल्लिखित संरचनाओं की 0.360 किमी लंबाई को छोड़कर]	234.39	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150% (अर्थात् आधार दरों का 1.5 गुणा)
संगरूर जिले में बडबार गांव के निकट रारा-64 [नया रारा-07] के मौजूदा किमी 132.700 [डिजाइन चैनेज किमी 139.720] पर	रारा-64 [नया रारा-07] का मौजूदा किमी 106.170 [डिजाइन चैनेज किमी 110.720] और मौजूदा किमी 116.950 [डिजाइन चैनेज किमी 123.900] पर मिलने वाला संगरूर बाइपास रारा-64 [नया रारा-07] का मौजूदा किमी 138.030 [डिजाइन चैनेज किमी 144.900] और	किमी 17.979 [नीचे पैरा 3 में उल्लिखित संरचनाओं की 0.261 किमी लंबाई को छोड़कर]	257.25	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150% (अर्थात् आधार दरों का 1.5 गुणा) ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

मौजूदा किमी 142.950		(अर्थात्	
[डिजाइन चैनेज किमी		आधार	दरों
149.960] पर मिलने		का 	1.5
वाला धनौला बाइपास		गुणा)	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए निम्निलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्निलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्निलिखित फीस भी देय और भुगतान-योग्य होगी:—

पथकर प्लाजा की अवस्थिति	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित	समतुल्य सड़क	भगतान योग्य
(चैनेज)	किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की	लंबाई (किमी में)	फीस दर
,	लंबाई (किमी में)	, ,	
संगरूर जिले में कालाझार	,	3.600 किमी	ऊपर तालिका-
गांव के निकट	0.000 (1) (1)	0.000 (1.41)	1 में उल्लिखित
रारा-64 [नया रारा-07] के			आधार दरों का
मौजूदा किमी 81.300			150%
[डिजाइन चैनेज किमी	0.060 किमी	0.600 किमी	ऊपर तालिका-
			1 में उल्लिखित
85.950] पर			आधार दरों का
			100%
संगरूर जिले में बडबार	0.260 किमी	2.600 किमी	ऊपर तालिका-
गांव के निकट			1 में उल्लिखित
रारा- 64 [नया रारा-07] के			आधार दरों का
मौजूदा किमी 132.700			150%
[डिजाइन चैनेज किमी			
139.720] पर			
	0.270 किमी	2.700 किमी	ऊपर तालिका-
			1 में उल्लिखित
			आधार दरों का
			100%
भटिंडा जिले में लहराबेग	0.443 किमी	4.430 किमी	ऊपर तालिका-
गांव के निकट			1 में उल्लिखित
रारा-64 [नया रारा-07] के			आधार दरों का
मौजूदा किमी 191.929			100%
[डिजाइन चैनेज किमी			
199.079] पर			
	कुल लंबाई	13.930 किमी	

^{*60} मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाएं	लंबाई (किमी)
1	मौजूदा किमी 50.000 [डिजाइन चैनेज किमी 50.000] पर ग्रेड सेपरेटर	0.240
2	डिजाइन चैनेज किमी 67.887 [पटियाला बाइपास] पर बड़ा पुल	0.060
3	मौजूदा किमी 64.070 [डिजाइन चैनेज किमी 68.780] पर ग्रेड सेपरेटर	0.060
4	मौजूदा किमी 89.600 [डिजाइन चैनेज किमी 94.182] पर ग्रेड सेपरेटर	0.060
5	मौजूदा किमी 106.930 [डिजाइन चैनेज किमी 111.482] पर ग्रेड सेपरेटर	0.065
6	मौजूदा किमी 110.010 [डिजाइन चैनेज किमी 122.982] पर ग्रेड सेपरेटर	0.065
7	मौजूदा किमी 138.290 [डिजाइन चैनेज किमी 145.532] पर ग्रेड सेपरेटर	0.065
8	मौजूदा किमी 142.780 [डिजाइन चैनेज किमी 149.268] पर ग्रेड सेपरेटर	0.065
9	मौजूदा किमी 146.510 [डिजाइन चैनेज किमी 153.480] पर फ्लाई ओवर	0.060
10	मौजूदा किमी 150.900 [डिजाइन चैनेज किमी 157.870] पर फ्लाई ओवर	0.210
11	मौजूदा किमी 179.840 [डिजाइन चैनेज किमी 186.778] पर रेल उपरि पुल	0.128
12	मौजूदा किमी 193.850 [डिजाइन चैनेज किमी 200.870] पर ग्रेड सेपरेटर	0.105
13	मौजूदा किमी 206.160 [डिजाइन चैनेज किमी 213.168] पर ग्रेड सेपरेटर	0.105
14	मौजूदा किमी 208.820 [डिजाइन चैनेज किमी 215.908] पर ग्रेड सेपरेटर	0.105

- 4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2016-17 के लिए 235.00 रु. (दो सौ पैंतीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।
- 5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:—

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

- 6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परिमट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
- 7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य 10 गुणा फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

- 8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
- 9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
- 10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. परियोजना की प्राक्किलत पूंजीगत लागत सारणी 5 में दी गई है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के अंतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है। इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त होने वाली प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

सारणी 5

खंड	लंबाई	प्राक्कलित लागत
पटियाला बाइपास [डिजाइन	19.28 किमी	330.33 करोड़ रु.
किमी 50.00 से डिजाइन किमी		
69.280]		
पटियाला बाइपास के अंतिम छोर	41.44 किमी	486.74 करोड़ रु.
से संगरूर बाइपास के प्रारंभ तक		
[डिजाइन किमी 69.280 से किमी		
110.720]		
संगरूर बाइपास [डिजाइन किमी	18.24 किमी	319.80 करोड़ रु.
110.720 से किमी 123.900]		
और धनौला बाइपास [डिजाइन		
किमी 144.900 से किमी		
149.960]		
संगरूर बाइपास के अंतिम छोर से	46.04 किमी	483.38 करोड़ रु.
टापा तक [डिजाइन किमी		
123.900 से किमी 175.000		
(डिजाइन किमी 144.900 से		
किमी 149.960 तक को छोड़कर)]		
टापा से भटिंडा [डिजाइन किमी	41.35 किमी	616.36 करोड़ रु.
175.000 से किमी 216.350]		
कुल	166.35 किमी	2236.61 करोड़ रु.

[सं आरडब्ल्यू/एनएच-37016/11/2016/एनएचडीपी-IVए] दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2017

S.O. 1235(E). —Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2948 (E) dated 15th September, 2016 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the Patiala-Sangrur-Barnala-Bathinda section of National Highway No. 64 [New National Highway No. 07] from existing km 50.000 [design km 50.000] to existing km 209.500 [design km 216.350] in the State of Punjab to the State Government of Punjab acting through the Chief Engineer [National Highways], Public Works Department, Government of Punjab (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R 02(E) dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E) dated 8th June, 2016, G.S.R 1114(E) dated 2nd December, 2016 and G.S.R 248(E) dated 14th March, 2017, for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 128.057 km [excluding 0.773 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 7.730 km] for use of the four Lane with paved shoulders section (hereinafter referred to as "base rate") and at 150% of the base rate for the bypasses having design length of 36.899 km [excluding 0.620 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 6.200 km] on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, for the use of the Patiala-Sangrur-Barnala-Bathinda section of National Highway No. 64 [New National Highway No. 07] existing km 50.000 [design km 50.000] to existing km 209.500 [design km 216.350] and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving	3.45
Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six	
axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At existing km 81.300 [design chainage km	41.380 km [excluding 0.060	100% of the base rates
85.950] of NH-64 [New NH No. 07] near	km length of structures	mentioned in Table-1

village Kalajhar in Sangrur district	indicated in Para-3 below]	above
At existing km 132.700 [design chainage km	40.167 km [excluding 0.270	100% of the base rates
139.720] of NH-64 [New NH No. 07] near	km length of structures	mentioned in Table-1
village Badbar in Sangrur district	indicated in Para-3 below]	above
At existing km 191.929 [design chainage km	46.510 km [excluding 0.443	100% of the base rates
199.079] of NH-64 [New NH No. 07] near	km length of structures	mentioned in Table-1
village Lehrabega in Bathinda district	indicated in Para-3 below]	above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km)	Cost (Rs. in Crore)	
At existing km 81.300 [design chainage km 85.950] of NH-64 [New NH No. 07] near village Kalajhar in Sangrur district	Patiala Bypass taking off at existing km 50.000 [Design chainage km 50.000] and merging at existing km 64.570 [design chainage km 69.870] of NH-64 [New NH No. 07]	18.920 km [excluding 0.360 km length of structures indicated in Para-3 below]	234.39	150% of the base rates (i.e. 1.5 times of the base rates) mentioned in Table-1 above
At existing km 132.700 [design chainage km 139.720] of NH-64 [New NH No. 07] near village Badbar in Sangrur district	Sangrur Bypass taking off at existing km 106.170 [Design chainage km 110.720] and merging at existing km 116.950 [design chainage km 123.900] of NH-64 [New NH No. 07] Dhanoula Bypass taking off at existing km 138.030 [Design chainage km 144.900] and merging at existing km 142.950 [design chainage km 149.960] of NH-	17.979 km [excluding 0.261 km length of structures indicated in Para-3 below]	257.25	150% of the base rates (i.e. 1.5 times of the base rates) mentioned in Table-1 above 150% of the base rates (i.e. 1.5 times of the base rates) mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At existing km 81.300 [design chainage km 85.950] of NH-64 [New NH No. 07] near village	0.360 km	3.600 km	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
Kalajhar in Sangrur district	0.060 km	0.600 km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

At existing km 132.700 [design chainage km 139.720] of NH-64 [New NH No. 07] near village	0.260 km	2.600 km	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
Badbar in Sangrur district	0.270 km	2.700 km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At existing km 191.929 [design chainage km 199.079] of NH-64 [New NH No. 07] near village Lehrabega in Bathinda district	0.443 km	4.430 km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total length	13.930 km	

^{*} Details of structure having length more than 60m is as under:

S.	Structure having length more than 60 m	Length
No.		(Km.)
1	Grade Separators at existing km 50.000 [Design Chainage km 50.000]	0.240
2	Major bridge at Design Chainage km 67.887 [Patiala Bypass]	0.060
3	Grade Separators at existing km 64.070 [Design Chainage km 68.780]	0.060
4	Grade Separators at existing km 89.600 [Design Chainage km 94.182]	0.060
5	Grade Separators at existing km 106.930 [Design Chainage km 111.482]	0.065
6	Grade Separators at existing km 110.010 [Design Chainage km 122.982]	0.065
7	Grade Separators at existing km 138.290 [Design Chainage km 145.532]	0.065
8	Grade Separators at existing km 142.780 [Design Chainage km 149.268]	0.065
9	Fly-over at existing km 146.510 [Design Chainage km 153.480]	0.060
10	Fly-over at existing km 150.900 [Design Chainage km 157.870]	0.210
11	Railway Over Bridge at existing km 179.840 [Design Chainage km 186.778]	0.128
12	Grade Separators at existing km 193.850 [Design Chainage km 200.870]	0.105
13	Grade Separators at existing km 206.160 [Design Chainage km 213.168]	0.105
14	Grade Separators at existing km 208.820 [Design Chainage km 215.908]	0.105

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one	Two	Twenty four hours from
way journey		the time of payment
Two-third of amount of the fee payable	Fifty	One month from date of
for fifty single journeys		payment

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- 10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 11. The estimated capital cost of the project is given in Table 5. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

TABLE 5

Stretch	Length	Estimated Cost
Patiala bypass [Design km 50.00 to Design km 69.280]	19.28 km	Rs. 330.33 Cr.
End of Patiala bypass to Start of Sangrur bypass [Design km 69.280 to	41.44 km	Rs. 486.74 Cr.
km 110.720]		
Sangrur bypass [Design km 110.720 to km 123.900] and Dhanoula	18.24 km	Rs. 319.80 Cr.
bypass [Design km 144.900 to km 149.960]		
End of Sangrur bypass to Tapa [Design km 123.900 to km 175.000	46.04 km	Rs. 483.38 Cr.
(excluding Design km 144.900 to km 149.960)]		
Tapa to Bathinda [Design km 175.000 to km 216.350]	41.35 km	Rs. 616.36 Cr.
Total	166.35 km	Rs. 2236.61 Cr.

[No. RW/NH-37016/11/2016/NHDP-IVA] DAKSHITA DAS, Jt. Secy.